

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक :- एफ.28(30)पंचायति/प्रशा-2/ग्राविअ/स्थाना.-पद/2024/198

जयपुर, दिनांक:- 22/2/24

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद-श्रीगंगानगर, जैसलमेर एवं बीकानेर।

विषय :- ग्राम विकास अधिकारी के स्थानान्तरण/पदस्थापन बाबत।
प्रसंग:- विभागीय राजकाज पत्र क्रमांक 5773133 दिनांक 22.02.2024

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रारंभिक राजकाज पत्र के द्वारा ग्राम विकास अधिकारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश जारी किये जाने हेतु आपको निर्देशित किया गया है, उक्त निर्देशों के क्रम संख्या 56, 104 एवं 131 पर वर्णित ग्राम विकास अधिकारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन के संबंध में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है:-

क्र.स.	नाम सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री	कहां से	कहां को	आंशिक संशोधन
56.	जसमेलसिंह	ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत 22 आरजेडी पंचा घडसाना अनुपगढ,	अन्यत्र	विशेष विवरण में अंकित जिला बीकानेर के स्थान पर जिला श्रीगंगानगर पढा जावे।
104.	वेदप्रकाश	ग्राम विकास अधिकारी पंचायत समिति पदमपुर श्रीगंगानगर	अन्यत्र दूरस्थ स्थान पर	पंचायत समिति पदमपुर जिला श्रीगंगानगर में वर्तमान कार्यरत स्थान पर ही यथावत रखा जावे।
131.	पदमाराम	पंचायत समिति फतेहगढ जिला जैसलमेर	सहायक कृषि अधिकारी वर्तक फतेहगढ जैसलमेर	विलोपित किया जाता है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है ।

नोट :-

- 1- उक्त सूची में यह सुनिश्चित किया जावे कि स्थानान्तरण/पदस्थापन कार्मिक के सही नाम एवं पदनाम से है ।
- 2- यदि कोई कार्मिक माननीय न्यायालय/अधिकरण द्वारा पारित रथगन आदेश की पालना में कार्यरत है तो ऐसे कार्मिक का स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश जारी नहीं किया जावे ।
- 3- यदि किसी कार्मिक की परिवीक्षाधीन अवधि समाप्त नहीं हुई है तो ऐसे कार्मिक का पदस्थापन/ स्थानान्तरण आदेश जारी नहीं किया जावे ।
- 4- यदि किसी कार्मिक का स्थानान्तरण किसी अन्य कार्मिक के स्थान पर किया जा रहा है, तो प्रभावित कार्मिक को अन्य निकटतम पंचायत समिति में पदस्थापित किया जावे ।
- 5- यदि कोई ग्राम विकास अधिकारी निर्लंबित चल रहा है तो उसका स्थानान्तरण आदेश जारी नहीं किये जावे ।

(रविन्द्र कुमार शर्मा)
अतिरिक्त आयुक्त एवं
शासन उप सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1-विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
- 2-विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
- 3-निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
- 4-निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर
- 5-अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद संबंधित।
- 6-एसीपी मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- 7-आदेश पत्रावली।

4
अतिरिक्त आयुक्त एवं
शासन उप सचिव-प्रथम